राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 205/2023

निरंजन मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.01.2023
आदेश की दिनांक : 13.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्डबाडी, जिला धौलपुर में नियमित वेतन एवं समस्त लाभ सहित कार्य जारी रखने का निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 2012 में हुई थी और उसे उपखंड, दौसा में पदस्थापित किया गया। उसी दरम्यान माह जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 के बीच लालसोट, दौसा में नगरीय जल परियोजना का पुर्नगठन हेतु योजना की शुरूआत की गई जो समयबद्ध योजना थी, परंतु योजना से संबंधित कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ और उसी दौरान अपीलार्थी ने उपखंड लालसोट, दौसा में ए.ई.एन. के पद पर कार्यग्रहण किया। तत्समय योजना का कार्य प्रगति पर था। कनिष्ठ अभियंता द्वारा भुगतान हेतु बिल अधिशाषी अभियंता को

प्रस्तुत किए गए, जो रूपये 1.42 करोड़ के बजाय रूपये 94 लाख का भुगतान किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया, फिर भी अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, दौसा के द्वारा दिनांक 29.08.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा गया कि 1.42 करोड़ रूपये के बजाय 94 लाख रूपये का भुगतान क्यों किया गया ? अपीलार्थी ने नोटिस का जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि मौके पर कार्य की प्रगति के आधार पर बिल का भुगतान किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया और नोटिस से संबंधित कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही कोई अपीलार्थी एवं कार्यालय के मध्य पत्राचार हुआ तथा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान कर खंडबाडी, जिला धौलपुर पदस्थापित कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध ना तो कोई एक्सप्लेनेशन अथवा प्रारंभिक जांच की गई तथा तीन वर्ष बाद अपीलार्थी से बिना सूचना चाहे और बिना प्रारंभिक जांच के उसे आलोच्य आदेश दिनांक 05.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन आदेश में यह अंकित किया गया कि कारण बताओ नोटिस में अंकित कर्त्तव्य अनुशासहीनता की श्रेणी में आते हैं, जो कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 का स्पष्ट एवं गंभीर उल्लंघन है, जबकि अपीलार्थी का कथन है कि राज्य सरकार को न ही कोई नुकसान हुआ है और फिर भी अपीलार्थी को निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी को न ही कोई चार्जशीट सी.सी.ए. नियम 126 के नियम 17 के अंतर्गत जारी की गई है। उनका कथन है कि निलम्बन प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किया गया है जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के आधार पर जारी किया जा सकता है और निलम्बन के लिए 15 दिवस के अंदर अनुमोदन आवश्यक होता है, परंतु कार्मिक विभाग द्वारा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। यद्यपि निलम्बन कोई दण्ड़ नहीं है और इसे निरस्त भी किया जा सकता है। निलम्बन आदेश गंभीर एवं दुर्व्यवहार के आधार पर जारी किया जाना चाहिए परंतु वर्तमान मामले में राज्य सरकार को ऐसा कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ फिर भी अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस के आधार पर निलम्बित कर दिया गया। उनका कथन है कि सी.सी.ए. नियम 13 के प्रावधानों के अंतर्गत निलम्बन आदेश दो ही आधारों पर जारी किए जा सकते हैं। पहला जांच लम्बित हो या परिकल्पित हो। दूसरा आपराधिक मामला लम्बित हो, परंतु वर्तमान मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। ना तो कोई जांच शुरू की गई और ना ही कोई आज दिनांक तक जांच प्रस्तावित है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18889/2022 में

पारित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे आदेश को अयुक्तियुक्त माना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 13299/2015 राजबाबू गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 एवं सिविल अपील संख्या 9454/2013 (2013) 2016 एससीसी–147 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2013 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। जिनमें ऐसे आदेशों को आयुक्तियुक्त माना है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्डबाडी, जिला धौलपुर में नियमित वेतन एवं समस्त लाभ सहित कार्य जारी रखने का निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया है। निलम्बन की कार्यवाही दण्डित कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती है। अपीलार्थी द्वारा पुर्नगठित शहरी जल योजना लालसोट के स्वीकृत कार्य हेतु बिना कार्य कराए बिल राशि 1.42 करोड रूपये का प्रस्तुत करने एवं पुनः माफ पुस्तिका में ओवर राइटिंग कर मात्र 94 लाख रूपये का रनिंग बिल प्रस्तुत कर भुगतान हेतु दबाव बनाया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि लगभग 48 लाख रूपये का भुगतान राजकोष से कराने का कुत्सित प्रयास किया गया। यदि पूर्व में प्रस्तुत बिल का भुगतान हो जाता तो विभाग को लगभग 48 लाख रूपये का नुकसान हो जाता जो कि अपीलार्थी द्वारा गंभीर प्रवृत्ति का वित्तीय अपराध किया गया है। अधिशाषी अभियंता, दौसा को संशय होने पर पुनः जांच कर बिल प्रस्तुत करने को कहा गया। पुनः बिल 48 लाख रूपये का कम प्रस्तुत किया गया, जिससे स्पष्ट है कि यदि पूर्व में प्रस्तुत बिल का भुगतान हो जाता तो विभाग को लगभग 48 लाख रूपये की वित्तीय हानि हो जाती जो कि अपीलार्थी द्वारा गंभीर प्रकृति का विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने एवं संवेदक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके लिए आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त उत्तर के आधार पर अपीलार्थी द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 2012 में हुई थी तथा उपखण्ड दौसा में उसे पदस्थापित किया गया। जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 के बीच लालसोट, जिला दौसा में नगरीय जल परियोजना का पुर्नगठन हेतु योजना की शुरूआत की गई जो समयबद्ध योजना थी। परन्तु योजना से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण नही हुआ। अपीलार्थी द्वारा पुनर्गठित शहरी जल योजना लालसोट के स्वीकृत कार्यो हेतु बिना कार्य करवाये बिल राशि 1.42 करोड का प्रस्तुत करने एवं पुनः माप पुस्तिका में ऑवर राईटिंग (Overighting) कर मात्र राशि 94.00 लाख का रनिंग बिल प्रस्तुत कर भुगतान हेतु दवाब बनाया गया जिससे प्रमाणित होता है कि लगभग 48 लाख रूपये का भुगतान राजकोष से कराने का प्रयास किया गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2022 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किया गया। अपीलार्थी द्वारा किया गया उक्त कृत्य एक गंभीर प्रवृत्ति का वित्तीय अपराध किया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.08.2019 भी जारी किया गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया और ना ही अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया जिससे अपीलार्थी निर्दोष प्रतीत होता हो। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा गलत भुगतान कराने का प्रयास किया गया और संवेदक को लाभ पहुंचाने तथा राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का कृत्य स्पष्ट प्रतीत होता है। जो स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2023 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में उक्त निर्णयों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का प्रकरण उक्त निर्णय के भिन्न है। अतः अपीलार्थी की इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र के बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य